21·7·1979।
क्रम-संख्या–388

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०–4

श्री 212121217 23/7/79

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 16 जुलाई, 1979

आषाढ़ 25, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 1782/सत्रह-वि0–1–101-78

लखनऊ, 16 जुलाई, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 9 जुलाई, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1979

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1979]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 3 में, उपधारा (2) में, खंड (घ) के पश्चात्, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"परन्तु यह कि राज्य सरकार आपवादिक परिस्थितियों में ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी सोसाइटी को अपने नाम में शब्द 'संघ' या शब्द 'गांधी' का प्रयोग करने की अनुज्ञा दे सकती है, और तदुपरान्त सोसाइटी के नाम में उस शब्द का प्रयोग ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने या उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को नवीकृत करने से इन्कार करने का आधार नहीं होगा।"

नयी धारा 3-ख का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 3-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

राज्य सरकार को निर्देश

"3-ख—यदि कोई प्रश्न उठे कि क्या कोई सोसाइटी धारा 3 के अनुसार अपनी रजिस्ट्री कराने या धारा 3-क के अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को नवीकृत कराने की हकदार है, तो वह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

नयी धारा 5-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

सम्पत्ति के अन्तरण पर निर्बन्धन

"5-क—(1) किसी विधि, संविदा या अन्य लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय या उसके किसी सदस्य के लिये यह विधिपूर्ण न होगा कि वह ऐसी किसी सोसाइटी की किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण, न्यायालय के पूर्वानुमोदन के बिना करें।

(2) उपधारा (1) के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा।

स्पष्टीकरण 1—शब्द "न्यायालय" का वही अर्थ होगा जो धारा 13 में उसके लिये दिया गया है।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "अन्तरण" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा:—

(क) कोई बन्धक, प्रभार, विक्रय, दान या विनिमय,

(ख) पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पट्टा, या

(ग) अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति।"

धारा 12-क का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 12-क में, शब्द "अपनी कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई से अन्यून सदस्य की सम्मति से" के पश्चात् शब्द "और रजिस्ट्रार के लिखित पूर्वानुमोदन से" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 12-घ का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 12-घ में, उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द "था" के स्थान पर शब्द "है" रख दिया जायगा।

धारा 21 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"21—इस अधिनियम में, शब्द "रजिस्ट्रार" से राज्य सरकार द्वारा, इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार भी है जिसको इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की समस्त या कोई शक्ति राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त की जाय।"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 1782/XVII-V-1—101-78

Dated Lucknow, July 16, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Society Registration (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the ... July 9, 1979:—

THE SOCIETIES REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. ACT NO. 26 OF 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Societies Registration Act, 1860 in its application to Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1979.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Societies Registration Act, 1860 as amended in its application to Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (2), *after* clause (*d*), *for* the Explanation, the following proviso shall be substituted, and be deemed always to have been *substituted*, namely :

"Provided that the State Government may in exceptional circumstances, for reasons to be recorded permit any society to use the word 'Union' or the word 'Gandhi' in its name, and thereupon, the use of that word in the name of the society shall not be a ground for refusal to register or to renew the certificate of registration of such society."

Insertion of section 3-B.

3. *After* section 3-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"3-B. If any question arises whether any society is entitled to get itself registered in accordance with section 3 or to get its certificate of registration renewed in accordance with section 3-A, the matter shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final."

Reference to the State Government.

Insertion of section 5-A.

4. *After* section 5 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"5-A. (1) Notwithstanding anything contained in any law, contract or other instrument to the contrary, it shall not be lawful for the governing body of a society registered under this Act or any of its members to transfer, without the previous approval of the court, any immovable property belonging to any such society.

Restriction on transfer of property.

(2) Every transfer made in contravention of sub-section (1) shall be void.

Explanation I—The word 'court' shall have the meaning assigned to it in section 13.

Explanation II—The expression 'transfer' shall for the purposes of this section mean—

(*a*) a mortgage, charge, sale, gift, or exchange ;
(*b*) lease for a term exceeding five years ; or
(*c*) irrevocable licence."

Amendment of section 12-A.

5. In section 12-A of the principal Act, *after* the words "two-thirds of the total number of its members", the words "and with the previous approval of the Registrar in writing" shall be *inserted.*

Amendment of section 12-D.

6. In section 12-D of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*a*) *for* the word "was" the word "is" shall be *substituted.*

Substitution of section 21.

7. *For* section 21 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :

"21. In this Act, the word 'Registrar' means a person appointed as such by the State Government, and includes an Additional Registrar, a Joint Registrar, Deputy Registrar, or Assistant Registrar, on whom all or any of the powers of the Registrar under this Act are conferred by general or special order of the State Government."

By order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 162 सा० (विधा०)—16-7-79—(1247)—1979—650 (मेक०)।